[2019] 9 एस. सी. आर. 1036

सुरिंदर पाल सोनी .... अपीलकर्ता

बनाम

सोहन लाल (मृत) विधिक वारिसान और अन्य के माध्यम से ....प्रतिवादी

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार.. सिविल अपील संख्या 5360 वर्ष 2019

@विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 26508 2018
[पंजाब एवं हरियाणा स्थित चंडीगढ उच्च न्यायालय के द्वारा सिविल (दिवानी) पुनरीक्षण संख्या 3372 वर्ष 2015 के पारित निर्णयय एवं आदेश से]

अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता - ए तिवारी , मिस ईलिजावार, श्री पाल सिंह
उत्तरवर्ती की ओर से अधिवक्ता - गोपाल झा

निर्णय न्यायायमूर्ति डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ के द्वारा सुनाया गया

1. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने उत्तरदाताओं के द्वारा संसथित किए गये दिवानी पुनरीक्षण को स्वीकार किया और अपीलाथीगण के द्वारा विनिर्धिष्ट अनुतोष के तहत दाखिल वाद के इजराय की प्रक्रिया के आवेदन को भी खारीज किया। निर्णीत-ऋणि के द्वारा दिये गये आपत्ति को स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय के द्वारा डिक्री के प्रति स्थापन में बकाया राशि वापसी का निर्देश दिया गया ।

2. अपीलार्थी के द्वारा वर्ष 2006 में बिक्रि के करार दिनांक 08/12/2003 के आधार पर विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद दायर किया गया।
अपीलकर्ता ने 12 कनाल और 9 मरला भूमि की बिक्री के लिए एक समझौते को लागू करने की मांग की , जो भूमि के आधे हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है जिसका खेवट खतौनी संख्या 565/525, खसरा संख्या 94/18 (7-8), 19(8-0), 20/1 (6-3), 21/1 (1-7) एवं 94/21/3 (2-0) जो गांव बिल्ला, तहसील एवं जिला पंचकुला में स्थित है। 20 मार्च 2012 को, सिविल जज (सीनियर डिवीजन), पंचकुला ने बिक्री विलेख प्रदर्श-डी 3 में उल्लिखित 2 कनाल भूमि को छोड़कर मुकदमे में वादी के पक्ष में डिक्री पास कर दिया। जहाँ तक तथ्यात्मक है, डिक्री इस प्रकार थी:
"परिणामस्वरूप, बिक्री के करार के विक्रय पत्र प्रदर्श पी1 दिनांक 08.12.2003 में उल्लिखित 2 कनाल भूमि को छोड़कर, शेष वाद भूमि के संबंध में वादी के पक्ष में बेचने के समझौते के

विनिर्दिष्ट पालन के माध्यम से कब्जे की डिक्री बिक्री बिलेख प्रदर्श 3 में वर्णित भूमि पर 2 कनाल भूमि छोड़ कर पारित की जाती है शेष बिक्री प्रतिफल राशि को प्रतिवादी नंबर 1 के विधिक वारीशानों को दिये जाने के बाद, प्रतिवादी संख्या 1 के विधिक वारीशानों को बिक्री विलेख निष्पादित करने के लिए निर्देश किया जाता है। शेष वाद भूमि के संबंध में आज से दो महीने की अवधि के भीतर 2 कनाल भूमि के प्रतिफल की कटौती के बाद शेष बिक्री प्रतिफल की प्राप्ति और ऐसा करने में प्र तिवादी संख्या 1 के विधिक वारिसान की विफलता के मामले में, वादी न्यायालय के माध्यम से उक्त भूमि के विक्रय विलेख को निष्पादित और पंजीकृत कराने का हकदार है।"

3. अपीलकर्ता और प्रतिवादी दोनों ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, पंचकुला ने अपील में प्रति वादी द्वारा दायर स्थगन आवेदन पर दिनांक 23 अप्रैल 2012 को नोटिस जारी किया।

4. अपीलकर्ता ने प्रथम अपील लंबित रहते हुए, अपने पक्ष में पारित डिक्री के निष्पादन की मांग के लिए सिविल जज (सीनियर डिवीजन), पंचकुला के समक्ष 15 जून 2012 को आवेदन दायर किया ।

5. प्रतिवादी ने निष्पादन याचिका पर 19 मई 2014 को आपत्तियाँ दायर कीं।

6. अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने अपीलकर्ता और प्रतिवादी द्वारा दायर अपील के दोनों सेटों को 17 जनवरी 2015 को खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट (विचारण न्यायालय) के फैसले और आदेश को बरकरार रखा।

7. निष्पादन अदालत ने डिक्री के निष्पादन पर उत्तरदाताओं की आपत्तियों को 23 फरवरी 2015 को खारिज कर दिया और अपीलकर्ता की निष्पादन याचिका की अनुमति दी। इसके बाद प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक सिविल रिवीजन दायर किया , जिसके परिणामस्वरूप 1 जून 2018 को विद्वान एकल न्यायाधीश का फैसला आया , जिसके द्वारा निष्पादन अदालत के आदेश को रद्द कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने माना कि अपीलकर्ता की ओर से डिक्री की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर बिक्री प्रतिफल की शेष राशि जमा करने में विफलता हु ई थी और परिणामस्वरूप बिनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 28 के प्रावधानों के अनुसार डिक्री अप्रवर्तनीय बना दिया गया था।

उच्च न्यायालय ने उल्लेखित किया कि बेचने के समझौते की शर्तों के तहत कुल बिक्री प्रतिफल रु. 8,35,000/- था, अपीलकर्ता ने 2004 में रुपये 5,85,000/- का भुगतान किया था। जबकि शेष रुपये 1,15,864/- मुकदमे में आंशिक डिक्री के परिणामस्वरूप 19 फरवरी 2015 को] 17 जनवरी 2015 को पहली अपील खारिज होने के बाद] जमा किया गया । उच्च न्यायालय ने इस प्रकार मंतव्य व्यक्त किया कि:

“निष्पादन के तहत डिक्री के ऑपरेटिव हिस्से का अवलोकन करने से पता चलता है कि हालांकि निचली अदालत ने शेष बिक्री प्रतिफल की राशि जमा करने के लिए विशेष रूप से कोई समय तय नहीं किया है , लेकिन यह स्पष्ट शब्दों में प्रदान किया गया है कि बिक्री

विलेख को शेष बिक्री प्र तिफल जमा करने पर निर्णय की तारीख से दो महीने के भीतर निष्पादित किया जाना है ।

8. उच्च न्यायालय के अनुसार, शेष बिक्री प्रतिफल जमा करने की समय सीमा ट्रायल कोर्ट के निर्णय में निहित थी, जिसने शेष राशि जमा करने पर निर्णय की तारीख से दो महीने के भीतर बिक्री विलेख के निष्पादन का आदेश दिया था। उच्च न्यायालय ने माना कि पहली अपील के लंबित रहने के दौरान फैसले और डिक्री पर रोक नहीं लगाई गई थी और केवल अपील दायर करना संहिता के आदेश 41 नियम 5 के तहत रोक नहीं है इसलिए, अपीलकर्ता के लिए डिक्री में इसके निष्पादन के लिए निर्धारित अवधि के समाप्ति के कारण बिक्री के इजराय की माँग करने का अधिकार अपीलार्थी को नही है। उच्च नयायालय में विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 28 के प्रावधानो पर भरोसा किया। यह भी पाया गया कि अपीलकर्ता द्वारा समय बढाने के लिए कोई आवेदन दायर नही किया गया था इस दृष्टिकोण की सत्यता का निर्धारण वर्तमान अपील में किया जाना है।

9. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री ए . तिवारी ने निम्नलिखित दलीलें प्रस्तुत किया:

(i) ट्रायल कोर्ट के निर्णय और डिक्री दिनांक 20 मार्च 2012 को प्रथम अपीलीय न्यायालय के डिक्री दिनांक 17 जनवरी 2015 के साथ विलय कर दिया गया है। विलय का सिद्धांत तब लागू होता है जब अधीनस्थ न्यायालय के फैसले को उलट दिया जाए , संशोधित किया जाए या बरकरार रखा जाए। इससे उच्च न्यायालय (चंडी प्रसाद बनाम जगदीश प्रसाद);

(ii) विशिष्ट निष्पादन के लिए डिक्री एक प्रारंभिक डिक्री की प्रकृति में है और इसे पारित करने वाली अदालत फंक्टस आॅफिसयो नहीं होती है (सरदार मोहर सिंह बनाम मांगीलाल)। चूँकि 17 जनवरी 2015 की अपीलीय अदालत की डिक्री में लेन- देन के समयबाधित होने का कोई उल्लेख नहीं है , इसलिए समय सीमा 17 जनवरी 2015 से शुरू होगी;

(iii) अपीलीय अदालत ने कोई समय सीमा नहीं लगाई और परिणामस्वरूप , 17 जनवरी 2015 का डिक्री उस तारीख से प्रवर्तनीय हो गया जिस दिन इसे जारी किया गया था;

(iv) विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 28 के तहत अदालत को जो शक्ति सौंपी गई है, वह साम्या के सिद्यांत पर न्यायसंगत प्रकृति की है और डिक्री में निर्धारित किसी भी शर्त के कार्यान्वन के लिए अ तिरिक्त समय देने के लिए अदालत स्वतंत्र है (सरदार मोहर सिंह) (सुप्रा)। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डिक्री धारक की तत्परता और इच्छा का आकलन किया जाए। निर्णित ऋणी ने विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 28 के प्रावधानों के तहत अनुबंध को रद्द करने की मांग नहीं की ;

(v) सुविधा का संतुलन अपीलकर्ता के पक्ष में है जिसने 2004 में कुल बिक्री प्रतिफल में से 5,85,000/- रुपये का भुगतान किया है और केवल 1,15,864/- रु. का भुगतान ट्रायल कोर्ट के फैसले के बाद किया जाना बाकी था;

(vi) आदेश 41 नियम 5 के प्रावधान विलय के सिद्धांत से अलग नहीं होते हैं।

10 दूसरी ओर, प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री गोपाल झा का कथन है कि:
(i) विलय का सिद्धांत उस स्थिति पर लागू होता है जब निष्पादन आवेदन दाखिल करने की समय सीमा की गणना की जानी होती है;
(ii) ट्रायल कोर्ट की डिक्री सशर्त थी क्योंकि इसमें शेष विक्रय मूल्य की प्राप्ति पर 2 महीने की अवधि के भीतर 2 कनाल को छोड़कर वाद भूमि के बिक्री विलेख के निष्पादन का निर्देश था। डिक्री में तीन शर्तें थीं, जिनमें से प्रत्येक को पूरा करना था;
(iii) वर्तमान मामले में , ट्रायल कोर्ट की डिक्री को अपीलीय अदालत द्वारा संशोधित नहीं किया गया था;
(iv) अपीलकर्ता द्वारा जमा राशि को प्रभावी करने के लिए समय के विस्तार के लिए कोई आवेदन दायर नहीं किया गया था और न ही डिक्री के निष्पादन आवेदन दाखिल करते समय कोई राशि जमा की गई थी। उच्च न्यायालय ने निर्णित ऋणी की अपील को खारिज करते समय डिक्री धारक को शेष राशि जमा करने के लिए समय का विस्तार नहीं किया;
(v) डिक्री धारक ने समय बढ़ाने के लिए उचित आधार नहीं दिखाया है और विशेष रूप से आदेश 41 नियम 5 के तहत रोक की अनुपस्थिति में केवल अपील दायर करना समय सीमा बढाने का वैध आधार नहीं बनता है;
(vi) प्रत्यर्थी ने सी पी सी की धारा 148 के तहत समय विस्तार के लिए आवेदन के बिना 19 फरवरी 2015 को बिक्रय मूल्य की शेष राशि जमा कर दी।
उपरोक्त के लिए , यह प्रस्तुत किया गया था कि अपीलकर्ता 20 मार्च 2012 के डिक्री में निर्दिष्ट शर्तों का पालन करने में विफल रहा, उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी के दिवानी पुनरीक्षण की अनुमति दी और यह माना कि डिक्री अप्रवर्तनीय हो गया।

11. उभयपक्ष की प्रतिद्वंदी निवेदन हमारे विचार के लिए हैं।
12. विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 20 मार्च 2012 द्वारा, संविदा के भागीक पालन हेतु दायर किए गये अपीलार्थी के वाद को वाद भूमि में से 2 कनाल भूमि को छोड़कर अपीलार्थी के पक्ष में निर्णय दिया । ट्रायल कोर्ट के डिक्री में 2 कनाल को छोड़कर, मुकदमे की विषय वस्तु बनने वाली भूमि के संबंध में दिनांक 8 दिसंबर 2003 को बेचने के समझौते के निष्पादन की माँग की गई थी। निर्णय देनदार को वाद भूमि के शेष हिस्से के संबंध में बिक्री विलेख निष्पादित करने का निर्देश निर्णय में दिया गया था
(i) 2 महीने की अवधि के भीतर;
(ii) शेष बिक्री प्रतिफल की प्राप्ति पर; और
(iii) 2 कनाल भूमि का प्रतिफल घटाने पर।

डिक्री धारक और निर्णित ऋणी दोनों द्वारा ट्रायल कोर्ट के फैसले को अपील में लाया गया था। निर्णित ऋणी द्वारा दायर अपील और स्थगन आवेदन पर अपीलीय न्यायालय ने नोटिस जारी किया, जबकि डिक्री धारक ने डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन किया। निर्णित ऋणी ने डिक्री के निष्पादन पर आपत्तियां दायर की थीं। अपीलीय अदालत ने ट्रायल कोर्ट के फैसले और डिक्री की पुष्टि करते हुए अपील के दोनों सेटों को खारिज कर दिया।

13. अपीलीय न्यायालय के निर्णय होने पर, अपील में दिए गए निर्णय के साथ ट्रायल कोर्ट के निर्णय का विलय हो गया। अपीलीय न्यायालय के डिक्री के पारित होने के परिणामस्वरूप, ट्रायल कोर्ट का डिक्री अपीलीय न्यायालय के साथ विलय हो जाता है। विलय का सिद्धांत इस तर्क पर आधारित है कि एक निश्चित समय पर एक से अधिक ऑपरेटिव डिक्री नहीं हो सकती हैं। विलय का सिद्धांत इस बात पर ध्यान दिए बिना लागू होता है कि अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय के फैसले की पुष्टि की है, उसे संशोधित किया है या उलट दिया है। कुन्हायमद बनाम केरल राज्य 7 (2000) 6 एस0 सी0 सी0 359 में, विलय के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए, इस न्यायालय ने इस प्रकार कहा:

"12. विलय के सिद्धांत में अंतर्निहित तर्क यह है कि एक निश्चित समय पर एक ही विषय-वस्तु को नियंत्रित करने वाले एक से अधिक डिक्री या ऑपरेटिव आदेश नहीं हो सकते हैं। जब किसी अवर न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकारी द्वारा पारित डिक्री या आदेश को वरिष्ठ/प्रवर न्यायालय के समक्ष चुनौती कानून के तहत उपलब्ध उपचार के अधीन दी जाती है, हालांकि चुनौती के तहत डिक्री या आदेश प्रभावी और बाध्यकारी रहता है, फिर भी इसकी अंतिमता खतरे में पड़ जाती है। एक बार जब उच्च न्यायालय ने किसी भी तरह से मामले का निपटारा कर दिया - चाहे अपील के तहत डिक्री या आदेश को रद्द कर दिया गया हो या संशोधित किया गया हो या बस पुष्टि की गई हो , यह वरिष्ठ न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकारी का डिक्री या आदेश है जो अंतिम, बाध्यकारी है और ऑपरेटिव डिक्री या आदेश जिसमें न्यायालय, न्यायाधिकरण या नीचे के प्राधिकारी द्वारा पारित डिक्री या आदेश का विलय होता है। हालाँकि, सिद्धांत सार्वभौमिक या असीमित अनुप्रयोग का नहीं है। वरिष्ठ न्यायालय द्वारा प्रयोग किए जाने वाले क्षेत्राधिकार की प्रकृति चुनौती दी जा सकने वाली सामग्री या विवादित विषय-वस्तु को ध्यान में रखना होगा।

पुनः इस न्यायालय द्वारा स्थिति को स्पष्ट करते हुए यह भी निर्णित किया गया कि अपील करने की विशेष अनुमति देने -

"41. विशेष अनुमति याचिका एक बार मंजूर हो जाने के बाद , इस न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग के दरवाजे खुल जाता हैं। उच्चतम न्यायालय के समक्ष विवादित आदेश एक आदेश बन जाता है जिसके खिलाफ अपील की जाती है। उसके बाद पारित कोई भी आदेश एक अपीलीय आदेश होगा और विलय के सिद्धांत की उपयोगिता लागू होगी । इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आदेश उलटने का है या संशोधन का है या

जिस आदेश के ख़िलाफ़ अपील की गई है उसे पुष्ट करने वाला या ख़ारिज करने का है। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तर्कसंगत आदेश है या तर्कहीन..."
खोडे डिस्टिलरीज लिमिटेड बनाम महादेश्वर सहकार सकारे कारखाने लिमिटेड [2019] 4 एस. सी. सी. 376 में इस अदालत के तीन न्यायाधीश के बेंच के फैसले द्वारा हाल ही में कानून की इस स्थिति की पुष्टि की गई और इसे दोहराया गया है ।

14. चंडी प्रसाद (सुप्रा) में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ का निर्णय कुन्हायमद (सुप्रा) में पारित निर्णय का अनुपालन करते हुए आया, जो इस प्रकार था:
"23. विलय का सिद्धांत न्याय देने की प्रणाली के पदानुक्रम में औचित्य के सिद्धांतों पर आधारित है। विलय का सिद्धांत अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित उलटफेर , संशोधन या पुष्टि के आदेश के बीच अंतर नहीं करता है। उक्त सिद्धांत यह मानता है कि एक निश्चित समय पर एक ही विषय वस्तु को नियंत्रित करने वाले एक से अधिक निष्पादनीय डिक्री नहीं हो सकते हैं।
24. यह सामान्य बात है कि जब एक अपीलीय न्यायालय एक डिक्री पारित करता है , तो विचारण न्यायालय का डिक्री अपीलीय न्यायालय के डिक्री के साथ विलय हो जाता है और भले ही अपीलीय डिक्री में किसी भी संशोधन के अधीन हो या अपीलीय न्यायालय का डिक्री विचारण न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया हो । दूसरे शब्दों में, डिक्री का विलय इस तथ्य की परवाह किए बिना होता है कि क्या अपीलीय अदालत विचारण न्यायालय द्वारा पारित डिक्री की पुष्टि करती है, उसे संशोधित करती है या उलट देती है"
15... हाल ही में, इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने चंडी प्रसाद (सुप्रा) में पारित निर्णय के आधार पर 24 अक्टूबर 2018 को शांति बनाम टीडी विश्वनाथन [2018] एस सी सी ऑनलाइन एस सी 2196 में निम्नलिखित शर्त प्रतिपादित किया :
"7. ..... जब कोई अपील किसी कानून के तहत दायर की जाती है और अपीलीय न्यायालय सुनवाई हेतु अपील को ग्रहण करती है, तो मुकदमा लगातार जारी रहता है। जब एक उच्चतर न्यायालय एक अपील को स्वीकार करता है और योग्यता के आधार पर एक आदेश पारित करता है, तो विलय का सिद्धांत लागू होग। विलय का सिद्धांत न्याय देने की प्रणाली के पदानुक्रम में औचित्य के सिद्धांतों पर आधारित है। विलय का सिद्धांत प्रत्यावर्तन, संशोधन या अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित पुष्टि के आदेश के बीच अंतर नहीं करता है। उक्त सिद्धांत यह मानता है कि एक निश्चित समय पर एक ही विषय को नियंत्रित करने के लिए एक से अधिक निष्पादन योग्य डिक्री नहीं हो सकती है।
16. प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने कहा कि सीपीसी के आदेश 41 नियम 5 के तहत, अपील किसी डिक्री या आदेश के तहत कार्यवाही पर रोक के रूप में काम नहीं करती है और न ही डिक्री के निष्पादन पर केवल इस आधार पर रोक लगाई जा सकती है कि डिक्री के खिलाफ अपील की गई है। सिवाय इसके कि जहां तक

अपीलीय अदालत आदेश दे , ऐसा करेगी। हालाँकि, अपीलीय न्यायालय को पर्याप्त कारण से डिक्री के निष्पादन पर रोक लगाने का अधिकार है। दलील यह है कि चूंकि अपील के निपटान तक डिक्री पर रोक नहीं लगाई गई थी , इसलिए इसके निष्पादन में कोई बाधा नहीं थी और, अपीलकर्ता द्वारा निष्पादन कार्यवाही में शेष राशि जमा करने में विफलता पर , डिक्री अनिष्पाद्य हो गयी है। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि ऐसी स्थिति में, विलय के सिद्धांत का उपयोगिता समाप्त हो जाता है।

17. हम निवेदन स्वीकार करने में असमर्थ हैं। विलय का सिद्धांत , अपीलीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर , एक सिद्धांत के रूप में कार्य करता है। वर्तमान मामले में, एक बार जब अपीलीय अदालत ने विचारण न्यायालय के फैसले और डिक्री की पुष्टि कर दी , तो जाहिर तौर पर विचारण न्यायालय के फैसले का अपीलीय अदालत के फैसले के साथ विलय हो गया। एक बार जब अपीलीय न्यायालय अपना निर्णय सुना देता है , तो यह अपीलीय न्यायालय का निर्णय निष्पादन योग्य हो जाता है। इसलिए, अपीलीय न्यायालय की डिक्री को निष्पादित करने के लिए डिक्री धारक के अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता है।

18. विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 28 के प्रावधानों के संदर्भ में इस मुद्दे को दूसरे दृष्टिकोण से देखा जा सकता है । धारा 28 कहती है:

“28. स्थावर सम्पत्ति के विक्रय या पट्टे के लिये संविदाओं का कतिपय परिस्थितियों में विखंडन, जिनके विनिर्दिष्ट पालन की डिक्री की जा चुकी है.-

(1) जहाँ किसी वाद में स्थावर सम्पत्ति के विक्रय या पट्टे के लिये किसी संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिये कोई डिक्री की जा चुकी हो और क्रेता या पट्टेदार , डिक्री द्वारा मंजूर की गई कालावधि या ऐसी अतिरिक्त कालावधि जो न्यायालय मंजूर करे , के भीतर क्रय धन या अन्य राशि जिसका संदाय उसे न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया है , संदाय नहीं करता तो विक्रेता या पट्टाकर्ता उसी वाद में जिसमें डिक्री की गई है , संविदा विखंडित किये जाने का आवेदन कर सकेगा और ऐसे आवेदन-पत्र पर न्यायालय, आदेश द्वारा, संविदा या तो जहाँ तक व्यतिक्रम करने वाले पक्षकार के विषय में या सम्पूर्णतः , यथा मामले में न्याय द्वारा अपेक्षित हो, विखंडित कर सकेगा ।

19. विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 28 के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए , इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने सरदार मोहर सिंह (सुप्रा) में कहा:

बनाम बनाम विनिर्दिष्ट पालन के लिए डिक्री देने के बाद न्यायालय अपना अधिकार क्षेत्र नहीं खोता है और न ही वह अधिकारहीन हो जाता है। तथ्य यह है कि धारा 28 स्वयं डिक्री को रद्द करने का आदेश देने की शक्ति देती है , यह दर्शाता है कि जब तक डिक्री के निष्पादन में बिक्री विलेख निष्पादित नहीं किया जाता है, तब तक विचारण न्यायालय संविदा के विनिर्दिष्ट पालन की डिक्री से निपटने के लिए अपनी शक्ति और क्षेत्राधिकार बरकरार रखता है।

अनुवादक : - रमाशंकर सिंह
पीठासीन पदाधिकारी,
श्रम न्यायालय, जमशेदपुर

यहां यह भी स्पष्ट होगा कि निर्णित ऋणी के द्वारा डिक्री के निष्पादन पर रोक लगाये जाने हेतु दिये गये आवेदन के अस्वीकृत हो जाने के वावजूद भी न्यायालय के पास यह शक्ति है कि वह निर्णित ऋणी को संविदा के भागिक पालन की डिक्री के अनुरूप भूगतान करने हेतु या संविदा के भागिक पालन के डिक्री में वर्णित शर्तों का पालन करने हेतु समय बढ.ा सके। दूसरे शब्दों में , अदालत के पास संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए डिक्री में उल्लिखित सशर्त डिक्री के अनुपालन के लिए समय बढ़ाने का विवेकाधिकार है..." भूपिंदर कुमार बनाम अंग्रेज सिंह (2009) 8 एससीसी 766 में, इस अदालत ने इस प्रकार कहा:

"21. यह स्पष्ट है कि धारा 28 अदालत को डिक्री के अनुपालन के लिए समय बढ़ाने या करार को रद्द करने का आदेश देने की शक्ति देती है। ये शक्तियाँ विचारण न्यायालय को उपलब्ध हैं जो संविदा के भागिक पालन का डिक्री पारित करती है। दूसरे शब्दों में, जब अदालत संविदा के भागिक पालन के लिए डिक्री पारित करती है , तो पक्षकारों के बीच अनुबंध समाप्त नहीं होता है। स्पष्ट रूप से कहें तो संविदा के भागिक पालन के लिए डिक्री प्रारंभिक डिक्री की प्रकृति की होती है और डिक्री के बाद भी मुकदमा लंबित माना जाता है।

22. धारा 28 की उपधारा (1) यह स्पष्ट करती है कि संविदा के भागिक पालन के लिए डिक्री दिए जाने के बाद न्यायालय अपना क्षेत्राधिकार नहीं खोता है और न ही यह अधिकारहीन होता है। दूसरी ओर, धारा 28 अदालत को करार को रद्द करने का आदेश देने की शक्ति देती है और करार को रद्द करने के लिए आवेदन के बावजूद राशि का भुगतान करने या संविदा के भागिक पालन के लिए डिक्री की शर्तों को पूरा करने के लिए समय बढ़ाने की शक्ति देती है। अधिनियमय की धारा 28 के तहत एक आवेदन पर निर्णय लेने में , अदालत को पक्षकारों के आचरण सहित सभी उपस्थित परिस्थितियों को देखना होगा"।

20. प्रत्यर्थी की ओर से पेश हुए विद्वान वकील ने वीएस पलानीचामी चेट्टियार फर्म बनाम सी अलगप्पन (1999) 4 एससीसी 702 के फैसले पर भरोसा जताया। रमनकुट्टी गुप्तन बनाम अवारा (1994) 2 एससीसी 642 मामले में इस न्यायालय के फैसले को आगे बढ़ाते हुए, दो न्यायाधीशों की पीठ ने कहा:

"15. इस न्यायालय ने विचार व्यक्त किया कि जब संविदा के भागिक पालन कि डिक्री ने संविदा के भागिक पालन की शर्तो को पूरा करने हेतु कोई निश्चित समय निर्धारित किया गया हो तब उस शर्त के अनुसार रकम को जमा नही करने पर धारा 28 (1) स्वयं अदालत को ऐसी शर्तों पर जो अदालत कर सकती है समय बढ़ाने की शक्ति देती है कि खरीद के पैसे या अन्य राशि का भुगतान करने की अनुमति दें जिसे अदालत ने उसे भुगतान करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के फैसलों के टकराव को देखते हुए कोर्ट ने निर्णित किया कि जब डिक्री पारित करने वाली अदालत और निष्पादन

करने वाली अदालत एक ही है , तो धारा 28 के तहत आवेदन निष्पादन अदालत में दायर किया जा सकता है । हालाँकि, जहां एक डिक्री को निष्पादन के लिए एक अन्य निष्पादन न्यायालय में स्थानांतरित किया जाता है , तो निश्चित रूप से अधिनियम की धारा 28 के तहत अन्य न्यायालय मूल न्यायालय नहीं है और निष्पादक न्यायालय "समान न्यायालय" नहीं है लेकिन जब कोई आवेदन उस अदालत में किया गया है जिसमें मूल मुकदमा दायर किया गया था और निष्पादन की कार्यवाही की जा रही है , तो निश्चित रूप से धारा 28 के तहत एक आवेदन उसी अदालत में चलने योग्य है..."

21. उपरोक्त मामले में , इस अदालत के समक्ष तथ्य यह है कि बिक्री का करार उन्नीस साल पहले 16 फरवरी 1980 को किया गया था और इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं था कि अदालत द्वारा दिए गए समय के भीतर बिक्रय मूल्य की शेष राशि जमा क्यों नहीं की गई। समय विस्तार के लिए कोई आवेदन विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 28 के तहत नहीं किया गया था । इस न्याया लय ने पाया कि केवल इसलिए कि परिसीमा अधिनियम 1963 के अनुच्छेद 54 द्वारा निर्धारित तीन साल की अवधि के भीतर एक मुकदमा दायर किया गया था, इसने प्रतिवादी-वादी को यह प्रदर्शित करने से मुक्त नहीं किया कि वह संविदा के भागिक पालन को पूरा करने के लिए तैयार और इच्छुक था और क्या विक्रेता द्वारा पहुँचाई गई बाधाओं या किसी अन्य कारण से व वादी को संविदा के भागिक पालन करने में विफल रहा । इस संदर्भ में, इस न्यायालय ने कहा:

"17. ...अदालत को सभी संबंधित परिस्थितियों को देखना होगा , जिसमें यह भी शामिल है कि क्रेता ने बिक्री के करार के अनुरूप खुद व्यवहार किया है या नहीं। यह संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए मुकदमा दायर करने के लिए कानून की स्थिति है , कि क्या अदालत, अधिकार पूर्वक, विचारण न्यायालय के द्वारा डिक्री के पारित होने के 5 साल बाद और अपीलीय अदालत द्वारा इसकी पुष्टि के 3 साल बाद डिक्री के संदर्भ में प्रतिफल की शेष राशि का भुगतान करने के लिए समय बढ़ाने की अनुमति दे सकती है ? प्रत्यर्थी - डिक्री धारकों का ऐसा दावा नहीं था कि विक्रेता - निर्णित ऋणी की किसी गलती के कारण डिक्री के अनुसार राशि जमा नहीं की जा सकी। ऐसी स्थिति में, यदि अब समय दिया जाता है, तो यह संविदा के भागिक पालन के लिए मुकदमा दायर करने के लिए निर्धारित सीमा की अवधि से आगे निकल जाएगा, हालांकि यह प्रावधान सख्ती से लागू नहीं हो सकता है। फिर भी यह न्यायालय द्वारा विचार की जाने वाली एक महत्वपूर्ण परिस्थिति है। इसके अलावा, प्रत्यर्थी डिक्री-धारकों की ओर से कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आ रहा है कि उन्होंने डिक्री के अनुसार प्रतिफल की शेष राशि का भुगतान क्यों नहीं किया , सिवाय इसके कि उच्च न्यायालय ने स्वयं क्या टिप्पणी करना उचित समझा , जो निश्चित रूप से रिकॉर्ड से परीलक्षित नही होता है। समानता की मांग है कि प्रत्यर्थी डिक्री-धारकों के पक्ष में विवेक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और डिक्री का पालन करने के लिए उन्हें समय का कोई विस्तार नहीं दिया जाना चाहिए।

अनुवादक : - रमाशंकर सिंह
पीठासीन पदाधिकारी,
श्रम न्यायालय, जमशेदपुर

फैसले के उपरोक्त उद्धरण में उल्लिखित तथ्य एक ऐसी स्थिति का संकेत देते हैं जो तथ्यात्मक रूप से अलग है। उस मामले में, बिक्री प्रतिफल की शेष राशि अपीलीय न्यायालय द्वारा डिक्री की पुष्टि के तीन साल बाद जमा करने की मांग की गई थी। वर्तमान मामले में, तथ्य स्पष्ट रूप से इसके विपरीत हैं। अपीलकर्ता ने 5,85,000/- रुपये की राशि जमा की थी। संविदा के भागिक पालन के मुकदमे में विचारण न्यायालय की आंशिक डिक्री को अपीलीय न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु रखा गया था। 17 जनवरी 2015 को अपीलीय न्यायालय द्वारा डिक्री की पुष्टि करने के बाद , विचारण न्यायालय की डिक्री का अपीलीय न्यायालय में विलय हो गया। इसके बमुश्किल एक महीने बाद , 19 फरवरी 2015 को अपीलकर्ता ने बिक्रय मूल्य की शेष राशि जमा कर दी। अपीलकर्ता ने ईमानदारी से काम किया। संविदा के भागिक पालन के लिए एक मुकदमे में डिक्री से उत्पन्न होने वाले मामले में साम्य का वजन उसके पक्ष में होना चाहिए। प्रत्यर्थी की विशिष्ट आपत्तियों को खारिज करना निष्पादन न्यायालय द्वारा उचित था। उच्च न्यायालय ने अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कार्य किया। उच्च न्यायालय ने अनजाने में संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए डिक्री को प्रतिस्थापित कर बयाना राशि 2,00,000/- रुपये से परे , बिक्री प्रतिफल की वापसी का आदेश डिक्री धारक को दे दिया। ऐसा करने में उच्च न्यायालय के साथ- साथ उसके अंतिम निर्देशों के कारण भी कायम रहने योग्य नही हैं। उच्च न्यायालय ने डिक्री के निष्पादन कार्यवाही से उत्पन्न एक सिविल पुनरीक्षण में डिक्री को संशोधित किया है। ऐसा विषय क़ानून में खुला नहीं था.

22. तदनुसार हम अपील को स्वीकार करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश के सीआर संख्या 3372 2015 (ओ एंड एम) में 1 जून 2018 को पारित विवादित निर्णय और आदेश को रद्द कर करते है परिणामस्वरूप, निष्पादन न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी /निर्णित ऋणी के द्वारा निष्पादन याचिका संख्या -- में दिए गए आवेदन को खारीज करने के आदेश दिनांक 23 फरवरी 2015 को अपास्त करतें हुए उस आवेदन को पुनर्जिवित किया जाता है।

23 उपरोक्त शर्तों में अपील स्वीकृत की जाती है। मुकदमा खर्च के रूप में कोई आदेश नहीं किया जाएगा ।

अपील स्वीकृत

अनुवादक : - रमाशंकर सिंह
पीठासीन पदाधिकारी,
श्रम न्यायालय, जमशेदपुर